न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद बइजलास अम्बालाल मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण सं. 79 / 2014

बउनवान

1. छीतरलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र हुकमचन्द जाति धाकड।
2. सुन्दरलाल उम्र 50 वर्ष हुकमचन्द जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरिपुरा तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बसन्तीलाल पुत्र नन्दलाल।
2. हजारी लाल पुत्र नन्दलाल।
3. बाबूलाल पुत्र नन्दलाल।
4. प्रहलाद पुत्र नन्दलाल।
5. मथुरालाल पुत्र नन्दलाल।
6. नेमीचन्द पुत्र डूंगरचन्द।
7. छोटूलाल पुत्र डूंगरचन्द।
8. गुलाब बाई पत्नी स्व0 डूगरचन्द जाति किराड निवासीगण जोगडी तह0 सांगोद जिला कोटा राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट.

निर्णय दिनांक 1-2-2016

प्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे अन्य खसरा नम्बरान की कृषि भूमि के साथ–साथ खसरा क्रमांक 416 की 0.79 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि वर्षो से प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे चली आ रही है, जिसमे वर्तमान मे सोयाबीन की फसल है जो कि कटाई के लिए तैयार है प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के चारो तरफ मेड मौके पर मौजूद है जो कि लगभग डेढ से 2 फुट की चौडाई मे मौजूद है।

प्रार्थीगण उनके खाते मे दर्ज उक्त वर्णित ख0न0 416 की 0.79 हेक्टर कृषि भूमि को मौके पर पिछले कई वर्षो से शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है, दिनांक 17.10.2014

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा (राज0)

ने मौके पर आकर प्रार्थीगण से कहा कि तुमने हमारी कृषि भूमि पर कब्जा मे इसी वक्त हमारी जमीन वापस लूंगा इस पर प्रार्थीगण ने अप्राथीक्रम 3 से हमारा तुम्हारी जमीन पर कब्जा नही है हमारी जमीन के चारो तरफ मेडबन्दी हो है हमने तुम्हे कभी भी इस जगह पर कात करते नही देखा है तुम झूठ बोल रहे हो। प्रार्थीगण के इतना करने पर भी अप्रार्थी क्रम 3 नही माना और उसने धमकी दी कि मै व मेरे अन्य भाई तुम्हारी सोयाबीन की फसल को काटकर कब्जा करके रहेगे। अप्रार्थीक्रम 3 द्वारा दी हुई धमकी से प्रार्थीगण के मन मे यह भय उत्पन्न हो गया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि मे बोई गई फसल को नुकसान पहुचा सकते है इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाहने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद प्रदान की जावे कि वे प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र दीगोद तह0 सांगोद मे स्थित ख0न0 416 की 0.79 हेक्अर की कृषि भूमि मे प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार से बाधा पहुचाने का प्रयास नही करे । और न ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि मे बाई गई फसल को नुकसान पहुचाने का प्रयास करे । उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने नौकरो व एजेन्टो से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्राथीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण को ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐं अवगत करवाया कि प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र दीगोद तह0 सांगोद मे स्थित ख0न0 416 की 0.79 हेक्अर की कृषि भूमि मे प्रार्थीगण के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार से बाधा पहुचाने का प्रयास नही करे । और न ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि मे बाई गई फसल को नुकसान पहुचाने का प्रयास करे । उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने नौकरो व एजेन्टो से करावे।

हमने बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2067–70 में छीतरलाल,सुन्दरलाल,पुत्रान हुकमचन्द,पुष्पाबाई,बेवा हुकमचन्द जाति धाकड रहन एसबीबीजे सांगोद राशि 71000/–रू0 नामा.स. 81 दर्ज रेकार्ड है। हमने प्रार्थी के प्रथमदृष्या प्रकरण बाबत् विचार किया प्रार्थीगण विवादित आराजी पर पत्रावली में मौजूद रेकार्ड के अनुसार खातेदार दर्ज पाये जाते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ता फैसला प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद प्रदान की जावे कि वे प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खाते व कब्जे की ग्राम हरिपुरा पटवार क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा (राज0)

सांगोद मे स्थित ख0न0 416 की 0.79 हेक्अर की कृषि भूमि मे प्रार्थीगण के क उपयोग उपभोग मे किसी भी प्रकार से बाधा पहुचाने का प्रयास नही करे । और प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि मे बाई गई फसल को नुकसान पहुचाने का प्रयास करे उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही अपने नौकरो व एजेन्टो से करावे।

अम्बालाल मीणा आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद